विहंगावलोकन

रक्षा भूमि का अनुपयुक्त प्रबंधन

रक्षा संपदाओं के खराब प्रंबधन के मामलों पर विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार बल दिए जाने तथा लोक लेखा समिति द्वारा संबद्ध नियमों एवं विनियमों के कड़े अनुपालन हेतु विनिर्दिष्ट निर्देशों के जारी किए जाने के बावजूद रक्षा भूमि के प्रंबधन में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप, रक्षा भूमि के दुरूपयोग से सम्बन्धित अनियमितताएं, पट्टों के नवीनीकरण/समापन में असाधारण विलंब जिनमें किरायों के बकायों का अधिक मात्रा में संचयन सम्मिलित है, दूसरे विभागों द्वारा रक्षा भूमि का अनधिकृत अधिभोग आदि निरंतर चलते रहे।

(पैराग्राफ 2.1)

रेलवे से सेवा प्रभारों की वसूली न करना

छावनी अधिनियम 2006 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के बावजूद छावनी बोर्ड आगरा, अंबाला, नसीराबाद ,और दिल्ली 2007-08 से 2012-13 की अवधि के लिए रेलवे से ₹10.74 करोड़ सेवा प्रभार की वसूली करने में विफल रहे ।

(पैराग्राफ 2.2)

टैंक में वातानुकूलकों (ए.सी.) को समाविष्ट न करना

जांच दल की संस्तुतियों की उपेक्षा करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 2001 और 2007 में वातानुकूलकों के बिना ₹ 9083.36 करोड़ मूल्य के टैंक 'एक्स' की अधिप्राप्ति की, जिससे टैंक 'एक्स' संवेदनशील संघटकों के अवक्रमण के लिए सुभेद्य हो गया। तथापि, वातानुकूलकों की खरीद की कार्यवाही 2002 में शुरू कर दी गई थी, जो कि अब तक नहीं हुई है।

(पैराग्राफ 2.3)

कार्य अनुरूप प्रगति के बिना असमकालिक भुगतान

मॉनीटरिंग सेल, जिसमें थल सेना और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सदस्य सम्मिलित थे, कार्य में अनुरूप प्रगति के साथ भुगतान को विवेकपूर्ण रूप से सुबद्ध करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को ब्याज रहित ₹ 110 करोड़ के अग्रिम का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप लगभग नौ वर्ष पूर्व ₹ 313.72 करोड़ का अग्रिम भुगतान करने के बावजूद पोन्टून मिड स्ट्रीम ब्रिजों की आपूर्ति हेतु 2001 में दिया गया आदेश फलप्रद सिद्ध नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 2.4)

आवश्यक नियंत्रण के अभाव में बकाया देय की वसूली न होना

संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) से शान्ति रक्षण मिशनों से सम्बंधित वसूलियां प्राप्त करने के मामले में विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए) और रक्षा मंत्रालय के बीच दायित्व के सम्बन्ध में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप न केवल बहुत अधिक बकाया शेषों का संचयन हुआ, अपितु उससे बंद चार मिशनों से देय ₹ 73.84 करोड़ की प्रतिपूर्ति भी असंभाव्य हो गयी ।

(पैराग्राफ 2.5)

एक अपंजीकृत और अनुभवहीन फर्म से पूर्व तकनीकी जांच के बिना निम्न-स्तर के भंडारों की स्वीकृति

रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय ने प्रतिदर्श की उचित जांच एवं पूर्वानुमोदन के बिना एक अपंजीकृत विक्रेता से अप्रैल 2008 और अगस्त 2008 के बीच ₹ 2.54 करोड़ मूल्य के परम शीत ऋतु हेतु मास्क की अधिप्राप्ति की, जिसके कारण 92783 मास्क जिनका मूल्य ₹ 1.82 करोड़ था, अप्रयोग्य रह गए।

(पैराग्राफ 3.1)

एक्स-रे जेनरेटर्स को नौ वर्षों से अधिक समय तक स्टॉक में रखना

प्रति आई.ई.डी. उपकरण के रूप में प्रयोग किए जाने की तुरन्त आवश्यकता के आधार पर अधिप्राप्त ₹ 2.28 करोड़ मूल्य के 32 एक्स-रे जेनरेटरों को प्रयोक्ता इकाइयों को जारी करने में रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय की विफलता के कारण उनका जीवनकाल भंडारण में ही समाप्त हो गया।

(पैराग्राफ 3.2)

बैटरियों का अनुरक्षण न करने के कारण हानि

सेना मुख्यालय/केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली छावनी द्वारा अधिप्राप्त निम्न अनुरक्षण से युक्त 37957 बैटरियों में से 6993 बैटरियां भंडारण के दौरान अपर्याप्त अनुरक्षण के कारण खराब हो गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.18 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.3)

भंड़ारों के पुनः परिवहन पर परिहार्य व्यय

'परिवहन नमूना' जिसमें आपूर्तिकर्ता द्वारा अंतिम परेषिती को भंडारों का प्रत्यक्ष परिवहन परिकल्पित था, का पालन करने में सेना मुख्यालय की विफलता के कारण ₹ 5.45 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ जिसने उस उद्देश्य को ही विफल कर दिया जिसके लिए परिवहन नमूना परिकल्पित था।

(पैराग्राफ 3.4)

भवनों में अप्राधिकृत मजबूती करने के उपायों के प्रावधान के कारण अतिरिक्त खर्च

भारतीय मानक 1893: 2002, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 और केन्द्रीय कमान निर्माण कार्य विनिर्देशन के उल्लंघन में सम्बन्धित सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों ने भूकंपीय अंचल II और III में भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त प्लिंथ क्षेत्र दरों को सम्मिल्लित करते हुए संस्वीकृतियां प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.5)

रक्षा आवास का अनधिकृत उपयोग

विनिर्दिष्ट सरकारी आदेशों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों के रहते हुए भी, स्थानीय कमांडरों ने अनुचित उद्देश्यों के लिए दिल्ली एवं पुणे छावनियों के सरकारी भवनों के पुनर्विनियोजन के द्वारा उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों का दुरूपयोग किया ।

(पैराग्राफ 3.6)

लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियां, बचतें एवं लेखाओं में समायोजन

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के अनुवर्तन पर लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 68.94 करोड़ के शुद्ध प्रभाव युक्त वेतन एवं भत्तों, विद्युत, चुंगी और विविध प्रभारों से सम्बन्धित भुगतानाधिक्य की वसूली की, निर्माण कार्यो की संस्वीकृतियों को निरस्त किया तथा वार्षिक लेखाओं को संशोधित किया।

(पैराग्राफ 3.7)

सशर्त संविदा की स्वीकृति से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

सैन्य अभियंता सेवाओं के विनियमों के उल्लंघन में दिल्ली क्षेत्र के मुख्य अभियंता ने सरकारी अनुमति के बिना अनिश्चित दायित्व से युक्त एक सशर्त संविदा की, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 4.1)

खराब योजना के परिणामस्वरूप कार्य का निलंबन और सरकारी सम्पति का नुकसान

थल सेना ने उपगमन सड़क के प्रावधान पर विचार किए बिना ₹ 9.04 करोड़ की भूमि का अधिग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3 करोड़ व्यय करने के बाद निर्माण कार्य को निलंबित करना पड़ा। इससे परिसंपत्तियों को ₹ 37 लाख की क्षति पहुंची तथा ₹ 1.87 करोड़ के निवारक निर्माण कार्यों की आवश्यकता हुई ।

(पैराग्राफ 4.2)

मीटर स्थापित न किए जाने के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विभाग से 33 के वी थोक विद्युत आपूर्ति हेतु उधमपुर के एम ई एस प्राप्ति केन्द्र में विद्युत मीटर स्थापित करने तथा बिजली की छूट का दावा करने में उधमपुर के मुख्य अभियंता की विफलता के कारण ₹ 8.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(पैराग्राफ 4.3)

ठेकेदारों को वृद्धि प्रभार का अस्वीकार्य भुगतान

रक्षा निर्माण प्रक्रिया- 2007 के प्रावधानों के उल्लंघन में मुख्य अभियंताओं ने इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर मूल्य परिवर्तन खण्ड को निविदा प्रलेखों में सम्मिलित करते हुए संविदाएं कीं, जिसके कारण ठेकेदारों को अस्वीकार्य भुगतान किए गए।

(पैराग्राफ 4.4)

उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय

उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग ने ₹16.38 करोड़ की लागत पर चित्रा परियोजना के उन्नयन हेतु मेसर्स आई टी आई लिमिटेड, हैदराबाद को एकल निविदा के आधार पर आपूर्ति आदेश दिया । तथापि, मेसर्स आई टी आई लिमिटेड, ने ₹ 14.26 करोड़ की लागत पर मेसर्स रियल टैक सोल्यूशन, बंगलोर के माध्यम से बाह्यस्रोत द्वारा इस कार्य का निष्पादन कराया,जिसके कारण विभाग को ₹ 2.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(पैराग्राफ 5.1)

सी ए टी आई ए वी 6 सोफ्टवेयर की अवांछनीय अधिप्राप्ति

उपयुक्त व्यवहारिकता अध्ययन/आवश्यक विश्लेषण के बिना ₹11.05 करोड़ की लागत पर एकल निविदा के आधार पर उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा केन्द्रीय रूप से अधिप्राप्त सी ए टी आई ए वी 6 सी ए डी/सी ए एम सोफ्टवेयर के 12 लाइसेंसों में दस की अधिप्राप्ति अनावश्यक थी, क्योंकि दो वर्षों से अधिक के बाद भी, सोफ्टवेयर मार्च 2011 में उसकी अधिप्राप्ति से निरंतर अप्रयुक्त पड़ा रहा ।

(पैराग्राफ 5.2)

डी आर डी ओ द्वारा अधिप्राप्तियों में नियमों का उल्लंघन

रक्षा मंत्रालय एवं विकास संगठन ने सेना से आदेश प्राप्त होने की प्रत्याशा में ₹ 52.58 करोड़ की लागत पर नाग मिसाइल के उत्पादन में अपेक्षित एक महत्वपूर्ण संघटक की अधिप्राप्ति की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34.70 करोड़ सरकारी धन का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 5.3)

आयुध फैक्ट्री संगठन का सामान्य कार्य निष्पादन

आयुध फैक्ट्री संगठन, जिसके अधीन 41 आयुध फैक्ट्रियाँ (परियोजना चरण के अधीन दो आयुध फैक्ट्रियाँ सहित) है, कुल 96,547 की श्रमशक्ति के साथ, प्राथमिक रूप से देश के सशस्त्र सेनाओं के लिए, शस्त्र, गोलाबारूद, उपस्कर, वस्त्र आदि के उत्पादन में संलग्न है। वर्ष 2011-12 में कुल उत्पादन मूल्य ₹15933.44 करोड़ था जो कि वर्ष 2010-11 में ₹14012.11 करोड़ के उत्पादन मूल्य से 13.71 प्रतिशत अधिक था

भारत के लोक लेखाओं में "नवीनीकरण एवं आरक्षित" (आर/आर) निधि के अंतर्गत वर्ष के प्रारंभ में ₹490.45 करोड़ का पर्याप्त शेष होने के बावजूद ओ.एफ.बी. की 'आर.आर. निधि में अन्तरण' के अधीन ₹325.00 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ एवं संयंत्र एवं मशीनरी के क्रय हेतू वर्ष 2011-12 में केवल ₹ 311.42 करोड़ का आहरण करने पर भी शेष राशि ₹ 13.58 करोड़ को भारत के लोक लेखाओं में रखा।

वर्ष 2011-12 के दौरान आयुध फैक्ट्री बोर्ड़ ने वर्ष 2010-11 की तुलना में ₹1385.01 करोड़ (12.05 प्रतिशत) की कुल प्राप्तियों में वृद्धि दर्ज की। तथापि, 31 मार्च 2012 तक मदो के वास्तविक निर्गम के बिना निर्गर्मों के लिए सशस्त्र सेनाओं तथा अन्य मांगकर्त्ताओं के नामें डालने के गलत चलन के कारण कुल प्राप्ति ₹ 1581.12 करोड़ तक बढ़ी। इसने परिणामस्वरूप उस वर्ष की अधिशेष राशि उसी सीमा तक बढ़ा दिया था।

वर्ष 2011-12 के दौरान 547 मदों में से जो माँगे विद्यमान थी एवं लक्ष्य निर्धारित थे, लक्ष्य प्राप्ति में 64 प्रतिशत (352 मदें) की कमी थी।

वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में निर्यात के लक्ष्य में 15.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 6.1)

एक अवयव की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

8 ए टेल यूनिट के कुल लेन-देन लागत से ओ.एफ.सी. के अधिक सामग्री लागत के बावजूद आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) से गोलाबारूद फैक्ट्री किरकी/ आयुध फैक्ट्री देहू रोड़ द्वारा 8 ए टैल यूनिट की अधिप्राप्ति पर ₹ 24.79 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 6.2)

विदेशी आपूर्तिकर्ता को विनिमय अन्तर की मन्जूरी से अनुचित लाभ देना

रक्षा अधिप्राप्ति नियमपुस्तिका के उल्लंघन एवं रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन की प्राप्ति के बिना आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने विदेशी आपूर्तिकर्ता को विनिमय दर अन्तर के कारण ₹1.22 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान की मन्जूरी प्रदान करके अनुचित लाभ पहुँचाया।

(पैराग्राफ 6.3)

निविदा पूछताछ एवं संविदा की शर्तों को हल्का करने से एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करके आयुध फैक्ट्री बड़मल ने उत्पादित महीने के निर्धारण के बिना ₹ 2.58 करोड़ मूल्य की पी.सी. शीटों को स्वीकृत करके एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ दिया। इसके साथ-साथ पी.सी. शीटें आयुध फैक्ट्री चंदा को विलम्बित निर्गम करने के फलस्वरूप ₹ 0.67 करोड़ मूल्य की पी.सी. शीटों के संचय से उनकी शैल्फ लाईफ समाप्त हो गई।

(पैराग्राफ 6.4)

खाली शेलों की नामन्जूरी के कारण हानि एवं परिणामस्वरूप भंडार में अवरोधन

₹2.78 करोड़ मूल्य के खोखले काय (आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा उत्पादित) की एक खेप के नामन्जूर होने के कारण उजागर प्रणाली विज्ञान के प्रमाण का समाधान करने में उत्पादन एवं निरीक्षण अभिकरण विफल रहे। फलस्वरूप ₹10.28 करोड़ के भंडार अप्रयुक्त रहे।

(पैराग्राफ 6.5)

अपर्याप्त गुणवत्ता नियन्त्रण के कारण 7.62 मि.मी. के पीतल के कपों एवं गोला बारूद के अस्वीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 7.42 करोड़ का नुकसान हुआ

आयुध फैक्ट्री कटनी ने अभावपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण के कारण दोषपूर्ण निर्माण के साथ् 7.62 मि.मी. के पीतल के कपों का आयुध फैक्ट्री वांरगावं को निर्गम किया, जो कि गोला बारूद के उत्पादन के लिए इनका प्रयोग करती है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.42 करोड़ मूल्य के पीतल के कपों तथा गोला बारूद का अस्वीकरण हुआ।

(पैराग्राफ 6.6)

पायलट नमूनों की अनुमति से पहले अधिकांश उत्पादन के कारण भंडार का अवरोधन

आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा पायलट खेपों के प्रमाण के सफल निष्पादन से पहले एक गोला बारूद के खाली शैलों के थोक उत्पादन के परिणामस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ का भंडार अवरोधित हुआ।

(पैराग्राफ 6.7)

लेखापरीक्षा के संकेत पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के संकेत पर 18 आयुध फैक्ट्रियों एवं महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन नई दिल्ली के तीन निरीक्षणालयों ने ₹ 2.09 करोड़ की वसूली की।

(पैराग्राफ 6.8)